

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 31.12.2018

क्रमांक 3591/1179/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	निरंक
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	श्री रेवा गुर्जर बाल निकेतन समिति सनावद	निरंक
3	प्रस्तावित/संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	श्री रेवा गुर्जर बाल निकेतन कालेज सनावद जिला खरगोन	निरंक
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	एम.एससी. पूर्वाद्ध (सीड टैक्नॉलाजी)	निरंक
5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	एम.एससी. पूर्वाद्ध (सीड टैक्नॉलाजी)	निरंक
6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	निरंक	निरंक
7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	निरंक	निरंक

8. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।

9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

10. अपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिव्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिव्यु राशि 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार)केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिव्यु दर्ज किया जा सकता है।

12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।  
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

( डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला )

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31.12.2018

पृ. क्रमांक 3592/1179/आउशि/सम्बद्धता/18.  
प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
  - 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
  - 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
  - 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
  - 5- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर (म0प्र0)।
  - 6- कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)।
  - 7- प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन (अग्रणी) (म0प्र0)।
  - 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
  - 9- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 31.12.2018

क्रमांक 3587/1206/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्र० क	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	निरंक
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	ए.एस. खरब मेमोरियल ट्रस्ट	निरंक
3	विद्यमान संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	शिवा कालेज ऑफ एजुकेशन दुधिया इंदौर	निरंक
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.ए प्रथम हिन्दी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र बी.बी.ए प्रथम वर्ष प्लेन पी.जी.डी.सी.ए प्रथम वर्ष बी. कॉम प्रथम वर्ष कामर्स विथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन बी.एससी प्रथम वर्ष वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर अति.विषय:- हार्दिकत्व, गणित, भौतिकी, सीड टैक्नालाजी, प्राणीशास्त्र	निरंक

5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक
6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक
7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.ए प्रथम हिन्दी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र बी.बी.ए प्रथम वर्ष प्लेन पी.जी.डी.सी.ए प्रथम वर्ष बी. कॉम प्रथम वर्ष कामर्स विथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन बी.एससी प्रथम वर्ष वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर अति.विषय:- हार्टिकल्चर, गणित, भौतिकी, सीड टेकनालाजी, प्राणीशास्त्र	सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु पृथक भवन/अधोसंरचना का प्रमाण उपलब्ध नहीं होने के कारण ।

8. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।

9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

10. अपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिब्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिब्यु राशि 35,000/- (रूपये पैंतीस हजार)केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिब्यु दर्ज किया जा सकता है।

12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।  
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

( डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला )

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31.12.2018

पृ. क्रमांक 3588/1206/आउशि/सम्बद्धता/18.  
प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय इन्दौर (अग्रणी) (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वेबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश